अमित शाह
अध्यक्ष
Amit Shah
President

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

दिनांक : 08 अगस्त, 2015

प्रिय बंधुवर/भगिनी,

सादर नमस्कार!

आशा है, आप सानंद सकुशल होंगे।

1) जैसा कि आप जानते हैं कि संगठन की नई रचना के अंतर्गत पार्टी ने राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर कुल मिलाकर 19 विभागों की घोषणा की गयी है। यह सभी विभाग पार्टी–प्रशासन के अविभाज्य अंग हैं। इन विभागों के काम की समग्र रूप–रेखा बनायी गयी है और वह इस पत्र के साथ संलग्न है।

जिन पदाधिकारियों को इन विभागों का दायित्व सौंपा गया है उनसे अनुरोध है कि इस रूपरेखा के अनुसार ही अपने सहयोगियों से परामर्श करते हुये समयबद्ध कार्य योजना बनायें और उस पर कार्य प्रारंभ करें। निश्चित समय सीमा में सारे बिंदुओं पर ठीक क्रियान्वयन हो यह उम्मीद है।

पार्टी की वर्तमान व्यवस्था में यह 19 विभाग आधिकारिक तौर पर बनाये गये हैं। इन विभागों के नाम तथा कार्य की रूपरेखा के बारे में केंद्र और प्रदेशों में समानता रहे यह हम सभी को सुनिश्चित करना है।

इन सारे (19) विभागों की रचना प्रदेश स्तर पर होना आवश्यक **है। ध्यान में रहे कि ट्रस्ट समन्वय विभाग, पार्टी पत्रिकाए तथा प्रकाशन विभाग और विदेश संपर्क विभाग इन तीन विभागों के बारे में प्रदेशों में करने लायक कामों के विषय अलग से सुस्पष्ट उल्लेख किया गया है।** प्रदेशों में जो काम होना है, वह इस सूचि के अनुसार ही हो। इन 19 विभागों में से जो विभाग जिले स्तर पर भी प्रासंगिक है, उन्हीं की ही रचना जिले स्तर पर की जाए।

2) इसी प्रकार 10 विद्यमान प्रकल्पों की सूची तथा काम की रूपरेखा को भी तैयार किया गया है और उसे इस पत्र के साथ भेजा जा रहा है।

प्रकल्पों की सूची में जिला कार्यालय निर्माण, कार्यालय आधुनिकिकरण, ग्रंथालय निर्माण तथा इ-ग्रंथालय यह चार प्रकल्प व्यवस्था के संदर्भ में है तथा स्वच्छता अभियान समाज–परिवतर्नन में हमारे ठोस योगदान के रूप में है। **इन पांचो प्रंकल्पों को निश्चित समय सीमा में पूर्ण करना है।**

शेष पेज 2 पर...............

11, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001 दूरभाष: 23005700 फैक्स: 23005787
11, Ashok Road, New Delhi-110 001, Phone : 23005700 Fax : 23005787
e-mail: amitshah.bjp@gmail.com

अमित शाह
अध्यक्ष
Amit Shah
President

भारतीय जनता पार्टी
Bharatiya Janata Party

'बेटी बचाओं – बेटी पढ़ाओं' तथा **'नमामि गंगे प्रकल्प'** मुहीम जैसे हैं जो लम्बे काल तक चलेंगे। अंतिम तीन प्रकल्प **(सदस्यता, संपर्क, प्रशिक्षण)** पूर्णतः सांगठनिक और तत्कालिक अभियान के तौर पर है और उन्हें संगठन के समय पत्रक के अनुसार हमें पूरा करना है।

विभाग तथा प्रकल्पों की व्याख्या की गयी है। उसी व्याख्या के तहत इन दोनों के अंतर्गत कार्य सम्पन्न हों, यही अपेक्षा है।

इन विभागों और प्रकल्पों का दायित्व उन कार्यकर्ताओं को दिया जाए जो दायित्व को सम्पूर्णतः own करने हेतु उसका निर्वहन करेंगे।

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न सूचियां तथा विभागों और प्रकल्पों के काम की रूपरेखा को आप सभी ध्यान से समझें और विभागों और प्रकल्पों के काम को सफल बनाऐं, यही अनुरोध है।

सधन्यवाद,

भवदीय

(अमित शाह)

प्रति,
1. सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी
2. सभी प्रदेश अध्यक्ष
3. सभी प्रदेश महामंत्री (संगठन)
4. सभी प्रदेश प्रभारी / सह–प्रभारी

11, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001 दूरभाष: 23005700 फैक्स: 23005787
11, Ashok Road, New Delhi-110 001, Phone : 23005700 Fax : 23005787
e-mail: amitshah.bjp@gmail.com

भारतीय जनता पार्टी
विभिन्न केंद्रीय विभागों की कार्य रूप-रेखा

विभाग- स्थायी रूप में निरंतर चलने वाले कार्यों को विभाग कहा गया है। इनमें से कुछ विभाग प्रदेशों में भी काम करेंगे यद्यपि काम का स्वरूप कुछ अलग होगा।

क्रम	विभाग	काम
1.	सुशासन तथा केंद्र - राज्य शासकीय कार्यक्रम समन्वय विभाग	1. केंद्र तथा भाजपा शासित राज्यों के विशिष्ट विभागों के मंत्रियों के सम्मेलन आयोजित करना तथा इन सम्मेलनों में समविचारी संगठनों का सहभाग सुनिश्चित करना। 2. इन सम्मेलनों के माध्यम से पार्टी की विशिष्ट विषयों संबंधित नीतियां, कार्यक्रम तथा योजनाओं में आवश्यक समन्वय बिठाना। 3. पार्टी के किसी एक राज्य में सफल योजना का अन्य राज्यों में क्रियान्वयन को प्रोत्साहन देना। 4. पार्टी की सरकारों के अच्छे कामों को रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से प्रसिद्धि दिलवाना । 5. सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के बारे में समाचारपत्रों तथा शोध पत्रिकाओं में चलने वाली नकारात्मक मुद्दों की चर्चा का (लेख और अन्य सामग्री) डॉक्यूमेंटेशन।

क्रम	विभाग	काम
2.	नीति विषयक शोध विभाग	1. पार्टी की सरकारों के लिए उपयोगी नीति विशयक शोध हाथ में लेना और दस्तावेज बनाना। 2. पार्टी की विभिन्न सरकारों की नीतियों के अंदर समानताएं तथा असमानताएं उजागर करते हुए शोध के माध्यम से तथ्यों का विशलेषण करना। 3. पार्टी की विचारधारा के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण विषयों के लिए व्यापक और शोध आधारित नीति पत्र (policy document) तैयार करना। 4. पार्टी के लिए विभिन्न चुनाव घोषणा पत्रों या विजन डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आवश्यक शोध संबंधी सहायता उपलब्ध कराना। 5. देश/प्रदेशों के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों का संकलन तथा उनके content के बारे में शोध और तुलनात्मक अध्ययन।
3.	मीडिया विभाग	1. नित्य और प्रासंगिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का संपूर्ण दायित्व (पूर्व तैयारी, प्रेस नोट बनाना और कवरेज सुनिश्चित करना)। 2. आवश्यकता के अनुसार समय - समय पर पार्टी के नेताओं के प्रतिक्रियाएं मीडिया में प्रकाशित हों, यह सुनिश्चित करना। 3. समाचार पत्रों तथा चैनलों में जिन विषयों की चर्चा चल रही है, उसे अपने अनुकूल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना (talk points / background material को तैयार कर वितरण कराना)। 4. मीडिया मॉनिटर बनवाना और उसका वितरण करवाना। 5. चैनलों में चर्चा के लिए कौन कहां जाए और अनुचित व्यक्ति न जाए यह सुनिश्चित करना। 6. चैनलों में हो रही चर्चा में कुछ गलत बातें होती है तो संबंधित व्यक्ति से पूछ - ताछ करना । 7. नीति विषयक शोध विभाग के साथ नित्य संपर्क, समन्वय और आपसी तालमेल। 8. सरकार तथा पार्टी के विषय में सकारात्मक भूमिका रखने वाले स्तंभलेख तैयार करवाना और उन्हें प्रकाशित करवाना।

क्रम	विभाग	काम
4.	मीडिया संपर्क विभाग	1. सभी पत्र- पत्रिकाएं और संपादकों के साथ नित्य संवाद और संपर्क की व्यवस्था तैयार करना। 2. संपादकों के साथ संवाद के माध्यम से भ्रांतियां दूर करना, सही जनाकारी पहुंचाना और विषय के लिए आवश्यक नेताओं के साथ उनका संपर्क स्थापित करवा देना। **3. संपादकों, स्तंभकारों तथा चैनल्स पर जाने वाले समविचारी व्यक्तियों को पार्टी के नीतियां, कार्यक्रम तथा सरकार के initiatives के बारे में समय - समय पर अवगत कराना।** **4. पार्टी की विचारधारा के बारे में संपादकों तथा स्तंभकारों के अंदर सही समझ निर्माण करना।** 5. पार्टी के विषय में गलत धारणाओं पर आधारित समाचार या पाठकों के पत्र या संपादकीय टिप्पणी इत्यादि को बारीकी से संज्ञान में लेना तथा पार्टी के द्वारा इन गलत बातों का खंडन करने वाले पत्र भिजवाने की स्थाई व्यवस्था निर्माण करना। 6. सरकार तथा पार्टी के विषय में सकारात्मक लेखन करने वाले स्तंभकारों तथा लेखक- विचारकों को चिन्हित करते हुए उनसे संपर्क स्थापित करना।
5.	प्रशिक्षण विभाग	1. सभी स्तरों पर (मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय) कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए योजना बनाना तथा पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना। 2. सभी स्तरों पर जन - प्रतिनिधी के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना तथा नगर पार्षदों, महापौर, विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण की योजना बनाते हुए क्रियान्वयन करना। 3. हर स्तर पर प्रशिक्षण के लिए उपयोगी औडियो- विजुअल सामग्री बनवाना तथा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्रों का ऑडियों - विजुअल डॉक्यूमेंटेशन करवाना। 4. प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने के संदर्भ में प्रदेश इकाइयों को सभी आवश्यक सहयोग देना। 5. अन्य विचारधाराओं वाले राजनीतिक दलों की प्रशिक्षण सामग्री संकलित करना तथा उसका अध्ययन करना।

क्रम	विभाग	काम
6.	राजनैतिक प्रतिपुष्टी और प्रतिक्रिया विभाग	1. राजनीतिक घटना क्रम पर नजर रखते हुए व्यूहात्मक (Strategic) सोच बनाना। **2. मीडिया में उछाले जाने वाले नकारात्मक विषयों के बारे में पार्टी की प्रतिक्रिया (क्या बोलना, क्या नहीं बोलना / नए कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन इत्यादि) के बारे में साझी सोच निर्माण करना।** **3. मौके पर जा कर स्थिति का आवश्यकता के अनुसार आंकलन बनाना।** 4. रणनीतिक सोच बनाते हुए विपक्ष के संदर्भ में (विपक्षी दल एवं सरकारें) नकारात्मक मुद्दों को आक्रमकता से उठाना।
7.	राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं बैठकें विभाग	1. सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं बैठकों के बारे में उनका उद्देश्य (इससे हम क्या निर्माण करना चाहते हैं) इस विषय में साझी सोच निर्माण करना। 2. इस साझी सोच के अनुसार कार्यक्रम की रूप -रेखा, विषय - वस्तु और कार्यक्रम की व्यवस्था निर्माण करना। 3. कार्यक्रम का पूरा संचालन और follow up करना। 4. राष्ट्रीय कार्यक्रम के संयोजन के बारे में लंबे समय के लिए उपयोगी हो, इस तरीके के protocol तैयार करना। 5. हर बैठक तथा कार्यक्रम के बाद संयोजन प्रक्रिया में जो कमियां रहीं, उनकी समीक्षा करना तथा जो अच्छाइयां रहीं उनका अनुकरण हो, यह सुनिश्चित करना। कुल मिलाकर हर किसी कार्यक्रम/ बैठक के बाद उनकी productivity के बारे में समीक्षा करवाना।

क्रम	विभाग	काम
8.	डॉक्यूमेंटेशन एवं ग्रंथालय विभाग	1. पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों का वृत्त और बैठकों के Minutes सही समय बनाने की पद्धति स्थापित करना। 2. बैठकों के पश्चात निर्णयों के आधार पर Action taken रिपोर्ट जैसी व्यवस्था निर्माण करना। 3. पार्टी के विभिन्न प्रस्ताव तथा प्रेस नोट और अन्य दस्तावेज - भाषा और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और दोश रहित पद्धति से निर्माण हों यह सुनिश्चित करना। 4. पार्टी मुख्यालय स्थित ग्रंथालय की विद्यमान व्यवस्था की समीक्षा करना। 5. मंडल से लेकर जिले और प्रदेश तक जितने सारे नए, अभिनव दृष्टि के (innovative) कार्यक्रम होते हैं उनके समग्र documentation की और उसे स्वतंत्र कक्ष में सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना। 6. photo section पार्टी के विभिन्न स्तरों के सभी नेताओं के छाया चित्रों तथा कार्यक्रमों के छाया चित्रों को संकलित करना और डिजटाइज करते हुए सुरक्षित रखना। 7. ग्रंथालय को जीवंत बनाते हुए अधिकारिक कार्यकर्ता उसके सदस्य बनें तथा उसका उपयोग करें, यह सुनिश्चित करना। 8. पार्टी ग्रंथालय के ग्रंथ संग्रह को अपडेट करना और निरंतर अपडेशन की व्यवस्था बनाना। 9. ग्रंथालय के अंदर पार्टी का अभिलेख विभाग (record section) तैयार करने की योजना बनाना और उसे लागू करवाना। **10. पार्टी के पुराने दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन करवाना तथा डिजिटाइजेशन की एक स्थाई व्यवस्था बनवाना।**

क्रम	विभाग	काम
9.	सहयोग, आपदीय राहत व सेवाएं विभाग	1. पार्टी मुख्यालय पर मंत्रियों की जनता तथा कार्यकर्ता को नियमित रूप से मिलने की व्यवस्था बनाना। 2. इस व्यवस्था की नित्य समीक्षा करते रहना और उसमें अगर खामियां हैं तो उन्हें दूर करना। 3. इसी तरीके की व्यवस्था पार्टी जहां सत्ता में है, उन सभी प्रदेशों के प्रदेश कार्यालयों पर निर्माण हो, यह सुनिश्चित करना। 4. इस व्यवस्था का रिकॉर्ड रखना तथा इस व्यवस्था के जरिए कार्यकर्ताओं के मसलों का निपटारा हो रहा है यह सुनिश्चित करना। 5. देश में समय- समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ित समुदायों को सहायता देने हेतु सामग्री संकलन तथा उसे उन समुदायों तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाना।
10.	अध्यक्षीय कार्यालय, प्रवास एवं कार्यक्रम विभाग	1. अध्यक्षीय प्रवासों की एडवांस प्लानिंग। 2. अध्यक्षीय प्रवास के लिए कुछ विशिष्ट प्रोटोकॉल स्थापित करना (जैसे - निवास व्यवस्था, प्रदेश कार्यालय को भेंट, पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात, इत्यादि)। 3. अध्यक्षीय प्रवास में अध्यक्ष जी के साथ कोई एक पदाधिकारी (जो प्रदेश का प्रभारी नहीं है) का जाना और उसके द्वारा प्रवास की व्यवस्था देखा जाना, इत्यादि बातों को स्थापित करना। 4. अध्यक्षीय प्रवास का वृत्त संकलन, डॉक्यूमेंटेशन तथा किसी छोटे समूह में उसकी समीक्षा - इसकी व्यवस्था करना। 5. अध्यक्षीय कार्यक्रमों के लिए उचित protocols बनवाना तथा उन्हें लागू करवाना। 6. अध्यक्षीय कार्यक्रमों में विविधता रहे, समाज के हर वर्ग के प्रमुख व्यक्तियों के साथ अध्यक्ष जी का संवाद स्थापित हो, इसकी चिंता करना।

क्रम	विभाग	काम
11.	प्रचार-साहित्य निर्माण विभाग	1. समय - समय पर पार्टी के द्वारा हाथ लिए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए उचित साहित्य का विचार करना तथा उसके निर्माण और वितरण की व्यवस्था करना। 2. पार्टी साहित्य का निर्माण दोष रहित हो और वितरण अंतिम पड़ाव तक विशिष्ट समय सीमा के अंदर हो, उसके लिए आवश्यक यंत्रणा खड़ी करना।
12.	ट्रस्ट समन्वय विभाग	1. पार्टी से संबंधित विभिन्न न्यासों का विधिवत संचालन। 2. इन न्यासों के हिसाब, audit तथा अन्य प्रशासनिक विषयों की सही व्यवस्था तथा निरंतर निगरानी। प्रदेशों में :- 1. पार्टी द्वारा संचालित न्यासी संस्थाओं का संचालन सुचारू रूप से हो, यह सुनिश्चित करना। 2. इन सभी संस्थाओं के लिए निश्चित उद्देश्य, कार्य की रूप - रेखा तथा समीक्षा की प्रणाली विकसित करना। 3. सभी न्यासी संस्थाओं के मनुष्य संसाधन तथा वित्तिय संसाधनों की चिंता करना। 4. इन सभी संस्थाओं के द्वारा स्थापित नियम - कानूनों का पालन हो रहा है, यह सुनिश्चित करना।
13.	चुनाव प्रबंधन विभाग	1. सभी राज्य और राष्ट्रीय चुनावों के लिए आवश्यक केंद्रीय प्रबंधन रचना खड़ी करना जिसमें नेताओं के प्रवास, प्रचार सामग्री निर्माण और वितरण तथा अनुशंगिक कार्य इत्यादि का समावेश है। 2. चुनाव संचालन के दर्मयान या उसके पश्चात पार्टी कार्यकर्ताओं पर दायर होने वाले मुकदमे / cases के विषय में रणनीति बनाना और उसपर अमल करना।

क्रम	विभाग	काम
14.	चुनाव आयोग संपर्क विभाग	1. चुनाव आयोग के साथ नित्य संपर्क। 2. चुनाव आयोग द्वारा आयोजित बैठकों में पार्टी का प्रतिनिधित्व। 3. चुनाव आयोग के समक्ष प्रतिनिधी मंडल के माध्यम से शिकायत / भूमिका इत्यादि दर्ज कराना। 4. चुनाव आयोग के साथ औपचारिक पत्राचार और संदर्भ साहित्य तथा अन्य दस्तावेजों का संग्रह। **5. चुनाव सुधार संबंधी भूमिका के बारे में पार्टी नेतृत्व से निर्देश लेना और उसी भूमिका को रखना।**
15.	कानूनी और विधिक विषय विभाग	1. राष्ट्रीय पार्टी का विभिन्न न्यायलयों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। 2. पार्टी के ऊपर लगाए गए मुकदमों और अन्य प्रकरणों का अध्ययन तथा भूमिका की सुनिश्चिति। 3. पार्टी की सोच के अनुसार जिन विषयों को पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से उठाया जा सकता है, उनको चिन्हित करना तथा उनके बारे में सक्रिय होना। 4. पार्टी तथा विचारधारा के कार्यकर्ताओं पर दाखिल होने वाले cases के बारे में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना।

क्रम	विभाग	काम
16.	पार्टी पत्रिकाएं तथा प्रकाशन विभाग	1. पार्टी के ऑफिशियल जर्नल्स (kamal Sandesh) के निर्माण की पूरी प्रक्रिया का संचालन (content, production, distribution, finances and overall management)। 2. पार्टी की पत्रिकाओं के समय- समय पर संचालन की समीक्षा। 3. पार्टी की प्रदेश इकाइयों द्वारा संचालित पत्रिकाओं के content की समीक्षा. उनमें समानता लाने के प्रयास तथा उनका पार्टी के अंदर और बाहर प्रभाव बढ़े इसकी चिंता। प्रदेशों में :- 1. देश में इस समय विभिन्न प्रदेशों में मिलाकर 22 पार्टी पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है और लगभग 8 लाख प्रतियां वितरित हो रही हैं। 2. आने वाले वर्ष 2016 में हमें इस संख्या में तिगुनी वृद्धि करनी है। 3. नई योजना के तहत हर प्रादेशिक पार्टी पत्रिका के हर अंक में केंद्रीय योजना से निर्मित 5 पृष्ठ, प्रादेशिक योजना से निर्मित 5 पृष्ठ और प्रेरणादाई साहित्य के 5 पृष्ठ - इस तरह से 15 पृष्ठों की सामग्री समान रहेगी। 4. इसी के साथ हर प्रदेश इकाई के द्वारा तीन से पांच पुस्तक / पुस्तिकाएं प्रकाशित करना आवश्यक होगा। 5. इन पुस्तक / पुस्तिकाओं के विषय पार्टी की सैद्धांतिक भूमिका के बारे में स्पष्टता, पार्टी के ओजस्वी इतिहास का आंकलन और उससे भावनिक जुड़ाव और पार्टी के नेताओं के प्रेरणादाई कार्य का विवेचन, इत्यादि रहेंगे।

क्रम	विभाग	काम
17.	आईटी, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रबंधन विभाग	1. राष्ट्रीय पार्टी की वेबसाइट, फेसबुक तथा फेसबुक पेज के कंटेंट और प्रेजेंटेशन तथा अपडेशन की समग्र चिंता। 2. पार्टी का सोशल मीडिया में प्रभाव बना रहे, इसकी चिंता और आवश्यक कदम। 3. पार्टी के प्रचार के लिए तथा पार्टी संबंधित गलत-प्रचार रोकने के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना। 4. पार्टी के विभिन्न मोर्चों, विभागों तथा वरिष्ट नेतृत्व; इन सभी की गतिविधियों का वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार - प्रसार। 5. पार्टी की वेबसाइट तथा सोशल मीडिया माध्यमों से पार्टी के साथ जुड़ने वाले / संवाद करने वाले सभी नागरिकों को रेसपांस देने की व्यवस्था। **6. पार्टी की प्रदेश इकाइयों की वेबसाइट के संचालन के लिए protocol सुनिश्चित करना तथा उनके content और presentation पर समय- समय पर समीक्षा और आवश्यक समन्वय।** 7. पार्टी के नेताओं के लिए सोशल मीडिया संबंधी आवश्यक परामर्श / सहयोग की व्यवस्था तथा फॉलोवर्स की संख्या बढ़ाने से लेकर अन्य प्रचार का काम संगठन के माध्यम से करवाना। 8. पार्टी की सभी वेबसाइट्स तथा सभी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर कुछ गलत बात न प्रकाशित हो, यह सुनिश्चित करना तथा इन सभी को हैकिंग से रोकना।

क्रम	विभाग	काम
18.	विदेश संपर्क विभाग	1. ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की विभिन्न इकाइयों का सुचारू रूप से संचालन, उसके लिए आवश्यक नियम इत्यादि विकसित करना। 2. पार्टी, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी तथा सरकार का विदेश विभाग इन तीनों में आवश्यक समन्वय बनाना। 3. पार्टी का विभिन्न देशों के राजनयिकों के साथ संवाद और संपर्क बढ़ाना, पार्टी की सही छवि उन तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना। 4. विभिन्न दूतावासों में आवश्यकता के अनुसार पार्टी का प्रतिनिधित्व करना। 5. अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए उपयोगी पार्टी साहित्य समय-समय पर तैयार करना। 6. अंतरराष्ट्रीय मीडिया से संपर्क विकसित करना। 7. अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सम्मुख पार्टी की सही छवि प्रस्तुत हो. यह सुनिश्चित करना। 8. ओएफबीजेपी के कार्यक्रम तथा अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली चर्चा तथा वार्तालापों इत्यादि का डॉक्यूमेंटेशन। प्रदेशों में 1. मूलत: प्रदेश के रहनेवाले और अभी विदेशों में बसे अनिवासी प्रदेशवासियों के साथ (जैसे non resident Andhrites, Bengalis, Gujratis) निरंतर संपर्क की व्यवस्था। 2. अनिवासी - प्रदेशवासियों की सहभागिता के लिए आवश्यक व्यवस्था खड़ी करना तथा उसपर अमल करना।

क्रम	विभाग	काम
19.	आजीवन सहयोग निधि विभाग	1. आजीवन सहयोग निधी पार्टी के द्वारा राजनीतिक दलों के संचालन में साधन - शुचिता के आग्रह का परिचायक है। 2. हर इकाई में पार्टी का संचालन, पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से जुटे, धन के आधार पर हो, यह हमें सुनिश्चित करने का उद्देश्य 3. मंडल से लेकर प्रदेश तक हर इकाई का एक लक्ष्य सुनिश्चित करना। 4. लक्ष्य के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों को दायित्व देना तथा उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना। 5. लक्ष्य निर्माण करते समय इकाई, मंडल और जिले के स्तर पर यह सोच रहे कि आने वाले पांच सालों में संग्रहित आजीवन सहयोग निधी न्यूनतम इतना हो कि उसके ब्याज पर उस इकाई के काम के लिए आवश्यक निधी उपलब्ध हो पाए।

भारतीय जनता पार्टी
विभिन्न केंद्रीय प्रकल्पों की कार्य रूप - रेखा

प्रकल्प - (Projects) विशिष्ट समय सीमा में समाप्त हो सके इस तरह के (अस्थायी) कार्यों को प्रकल्प कहा गया है।

क्रम	प्रकल्प के नाम	कार्य रूप - रेखा
1	जिला कार्यालय निर्माण प्रकल्प	1. आज यह वास्तविकता है कि देश के 78 फीसदी जिलों में पार्टी का अपना कार्यालय नहीं है। (स्वामित्व वाला) 2. हर प्रशासनिक जिले में पार्टी के स्वामित्व का एक कार्यालय हो। 3. शहरी, ग्रामीण तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अलग- अलग मॉडल बनाए जाएंगे और उसी के अनुसार निर्माण होगा। 4. सभी जिला कार्यालयों के निर्माण के लिए केंद्रीय व्यवस्था से कुछ अनुदान दिया जाएगा, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हैं, वहां तय शुदा राशि से केवल पचास प्रतिशत अनुदान मिलेगा। 5. इस अनुदान से होने वाले व्यय के लिए अलग अकाउंट खोला जाए और उसी में से व्यय किया जाए। 6. यह कार्यालय 31 दिसंबर 2016 तक बनाने का लक्ष्य है, इस संदर्भ में 2015 के अंत तक भूमि खरीदने का काम हो। 7. नए और पुराने सभी जिला कार्यालयों में तयशुदा सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। 8. इस जिला कार्यालय निर्माण प्रकल्प के लिए प्रदेशों में एक टीम बनाई जाए जो निरंतर कार्य की प्रगति की देख-रेख करे।

क्रम	प्रकल्प के नाम	कार्य रूप - रेखा
2	कार्यालय आधुनिकिकरण प्रकल्प	1. केंद्र तथा सभी प्रदेश कार्यालयों में समान व्यवस्थाओं का निर्माण तथा समान पद्धति से उनका संचालन हो। 2. समान व्यवस्थाओं के अंदर निम्न बातों का समावेश है 1. Video conferencing 2. Audio bridge 3. Fax 4. email 5. xerox 6. audio - video recording and record keeping 3. video conferencing तथा audio bridge के माध्यम से होने वाली बैठकों की frequency तथा उपयोगिता के तौर तरीकों के लिए protocols स्थापित करवाना। 4. व्यवस्था इस तरीके से हो कि तेहसील स्तर तक हर कार्यक्रम के पश्चात उसका structured report 24 घंटों में प्रदेश और ऊपर के स्तर पर भेजा जा सके। 5. सभी आधुनिक सुविधाओं की मदद से 1950 से 2015 तक के कार्यकाल के लिए उस इकाई के इतिहास का संकलन एवं लेखन जिसमें पुराने कार्यकर्ताओं के द्वारा स्मृति संकलन, फोटो तथा अन्य दस्तावेजों का संकलन। 6. पार्टी के स्थानीय इतिहास संकलन / लेखन का काम किसी ऐसे कार्यकर्ता को दिया जाए जो प्रामाणिकता से कार्य को own करते हुए उसे निभाए। 7. धीरे- धीरे स्थितियां ऐसी बनें कि अपनी गतिविधियों के माध्यम से पार्टी जो इतिहास रचा रही है, वह लगभग उसी समय डॉक्यूमेंट भी हो रहा हो।

क्रम	प्रकल्प के नाम	कार्य रूप - रेखा
3	ग्रंथालय निर्माण प्रकल्प	प्रदेशों में :- 1. हर प्रदेश और जिला कार्यालय में एक ग्रंथालय निर्माण करना आवश्यक है। 2. इन ग्रंथालयों में पार्टी का इतिहास, नेताओं के चरित्र, अन्य विचारधाराओं व राजनीतिक पार्टियों का साहित्य, देश और प्रदेश का इतिहास तथा गवर्नेंस संबंधी पुस्तकें मुख्य रूप में होंगी। पुस्तकों की न्यूनतम संख्या केंद्रीय स्तर पर निश्चित होगी। 3. ग्रंथ संग्रह में से 60 फीसदी पुस्तकें केंद्र के द्वारा जारी सूची में से होंगे शेष 40 फीसदी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार होगा। 4. ग्रंथालयों की सदस्यता तथा किताबें पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ाने की दृष्टि से नियमित प्रयास ग्रंथालय के काम का अभिन्न हिस्सा रहेगा।
4	ई ग्रंथालय प्रकल्प	इस संदर्भ में तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से एक रूप रेखा बनाई जा रही है। वह बनने के बाद इस संदर्भ में विस्तार से बताया जाएगा।
5	स्वच्छता अभियान प्रकल्प	1. यह एक अति महत्व का और मानवीय दृष्टि से हाथ लिया गया प्रकल्प है। 2. इस प्रकल्प के तहत पुराने, सिर पर मैला ढ़ोने की पद्धति के शौचालय समाप्त हो और इस काम में जुटे व्यक्तियों को अन्य आजीविका उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करना है। 3. इसके तहत हर प्रदेश में इस पद्धति के शौचालय कहां - कहां हैं इसकी सूची वितरित की गई है। 4. इस सूची के आधार पर ऐसे शौचालयों को आधुनिक शौचालयों में परिवर्तित करना और मैला ढ़ोने की मजबूरी से संबंधित व्यक्तियों को मुक्त कर उन्हें सम्मानजनक आजीविका साधन देना, यह हमारा काम है। 5. दिसंबर 2016 तक हमें जिले अनुसार परिणाम देने वाले प्रयासों से स्वयं को जोड़ते हुए यह काम पूर्ण करना है।

क्रम	प्रकल्प के नाम	कार्य रूप - रेखा
6	बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ प्रकल्प	1. यह कार्यक्रम मात्र सरकारी कार्यक्रम नहीं है, यह पार्टी के लिए भी आग्रह का विषय है। 2. इस प्रकल्प के अंतर्गत - प्रचार - सरकारी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जन-जागरण और अन्य प्रयास - बेटियों की भ्रूण हत्या पर रोक तथा स्कूलों में बेटियों का ड्रॉप आउट रेट कम हो, इस दृष्टि से सभी तरह के प्रयास हमें करना है। - जहां बेटियों के ड्रॉप आउट होने की संभावना है, उन परिवारों के लिए महिला कार्यकर्ता की अभिभावक के रूप में नियुक्ति करते हुए ड्रॉप आउट न हो, इसके लिए प्रयास करना। 3. पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का इस प्रकल्प में सहभाग होना आवश्यक है, फिर भी महिला कार्यकर्ता की एक समिति विभिन्न इकाइयों में इसकी निगरानी करे।
7	नमामि गंगे प्रकल्प	1. यह प्रकल्प गंगा प्रदेश में गंगा नदी को शुद्ध रखने के लिए है। 2. मगर जहां गंगा नहीं है, वहां संबंधित इकाइयां अपने गांव - शहर की एक नदी को चुनते हुए उसे मैला होने से बचाने के लिए काम करे। 3. इसके तहत नदी जल की स्वच्छता बरकरार रखने के लिए एक योजना बनाते हुए उसपर अमल करने की कल्पना है। 4. इसके लिए भी ठीक योजना बनना और उसपर निश्चित समय पत्रक के अनुसार और दायित्व तय करते हुए काम होना अपेक्षित है।
8	राष्ट्रीय सदस्यता अभियान (प्रकल्प)	
9	राष्ट्रीय महा संपर्क अभियान (प्रकल्प)	

क्रम	प्रकल्प के नाम	कार्य रूप - रेखा
10	राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान (प्रकल्प)	